

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवरथी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।  
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।  
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानुपर/वाराणसी।  
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 03 मई, 2021

विषय:- दिनांक 04 मई, 2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू कर्फ्यू को आंशिक कर्फ्यू के रूप में दिनांक 06.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया दिनांक 30.04.2021 की रात्रि 8:00 बजे से दिनांक 04.05.2021 की प्रातः 7:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने विषयक शासनादेश संख्या 775/2021-सीएक्स-3 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में दिनांक 04 मई, 2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 06.05.2021 की प्रातः 07:00 बजे तक लागू रखा जायेगा। इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो और शेष 50 प्रतिशत भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाये जायें एवं यथासम्भव work from home की व्यवस्था लागू की जाय। इस संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

- (1) उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाये जिससे कि संक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो व सेनेटाइजर का प्रयोग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाये।
- (2) आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकान खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अर्न्तगत खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी/फल/दूध/किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बन्द रहेंगी। सब्जी मण्डी/फल मण्डी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क/ग्लब्स व सेनेटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी।
- (3) 05 मई, 2021 से ग्रामों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जायेगा एवं कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जायेगी। इस विशेष अभियान की जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग की जायेगी।
- (4) पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किये जाय।
- (5) हाई रिस्क कैटेगरी यथा-60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलायें एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात् कम इम्यूनिटी के लोग बाहर न जायें। सामान्य जन से अपील है कि अनावश्यक बाहर न निकलें एवं यदि निकलें तो मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर ही निकलें।

- (6) टीकाकरण का अभियान जनपदों में यथावत चलता रहेगा परन्तु सोशल डिस्टेंसिंग व दो गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी।
- (7) निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारन्टाइन सेन्टर की स्थापना की जाय एवं जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे हैं, यदि होम क्वारन्टाईन की घर में जगह नहीं है तो क्वारन्टाइन सेंटर में रखा जाय।
- (8) कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाएं।
- (9) प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग व सेनेटाइजेशन प्रतिदिन किया जाय।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,




( अवनीश कुमार अवस्थी )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व/चिकित्सा स्वास्थ्य/पंचायती राज विभाग/चिकित्सा शिक्षा/ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश।
- (5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (6) पुलिस महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा, उत्तर प्रदेश।
- (7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



( ~~कुमार प्रशान्त~~ )  
विशेष सचिव।

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।  
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।  
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/पारागसी।  
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल, 2021


विषय:- शुक्रवार दिनांक 30.04.2021 की रात्रि 08:00 बजे से मंगलवार दिनांक 04.05.2021 तक की प्रातः 07:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने एवं अन्य निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-720/2021-सीएक्स-3, दिनांक 20.04.2021 के क्रम में दिनांक 30.04.2021 शुक्रवार की रात्रि 08:00 बजे से दिनांक 04.05.2021 मंगलवार की प्रातः 07:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 02.05.2021 को पंचायत चुनाव में मतगणना का कार्य कोविड के निर्धारित प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। कृपया उक्त के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-3247/रा0नि00आ0-3/पं0नि0/2021, दिनांक 29.04.2021 का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

भवदीय,




( अवनीश कुमार अवस्थी )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) अपर मुख्य सचिव, राजस्व/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया धनराशि की व्यवस्था के सम्वन्ध में अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
- (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश।
- (5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (6) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
( कुमार प्रशान्त )  
विशेष सचिव।

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।  
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।  
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानुपर/वाराणसी।  
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2021

गृह (गोपन) अनुभाग-3

विषय:- प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08:00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने एवं अन्य निर्देश।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-709/2021-सी0एक्स-3, दिनांक 16.04.2021 के क्रम में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08:00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग की जायेगी। इस संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

- (1) प्रत्येक शहर/प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रु0 1000 तथा दूसरी बार अधिकतम रु0 10000 तक जुर्माना किया जाये। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व हो। वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित भी करेंगे।
- (2) वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के संबंध में प्रदेश के समस्त जनपदों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की जाए। इस संबंध में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चेकिंग की जाए तथा सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।
- (3) कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाय।
- (4) शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री (Continuous Process industry) को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिकों/श्रमिकों को तदनुसार आने-जाने की अनुमति होगी।
- (5) शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
- (6) पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई0डी0 कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।


- (9) प्रेस प्रिन्ट/इजेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
- (10) सरकारी/निजी अस्पतालों, सरकारी/निजी मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन से संबंधित समस्या के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी जाय।
- (11) अग्निशमन विभाग द्वारा जनपदों में फागिंग कराये जाने हेतु अग्निशमन विभाग से समन्वय स्थापित करके इसको भी सुनिश्चित करायें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,  
  
 (अवनीश कुमार अवस्थी)  
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
  - (2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
  - (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
  - (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व/चिकित्सा स्वास्थ्य/पंचायती राज विभाग/चिकित्सा शिक्षा/ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश।
  - (5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
  - (6) पुलिस महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा, उत्तर प्रदेश।
  - (7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
 (कुमार प्रशान्त)  
 विशेष सचिव।